(97)

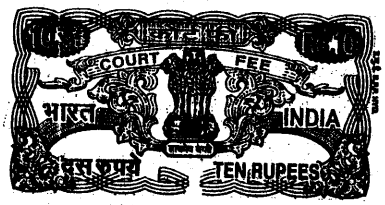

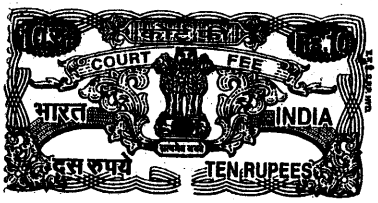

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी ग्वालियर म.प्र.
प्र.क्र. /2016 (निगरानी) निग - 2037 - PBR-16

सजनसिंह पिता अजयसिंहजी राजपुत
निवासी – ग्राम मलोडा तह. बडनगर जिला उज्जैन ..... प्रार्थी

विरूद्व

01. राजकुँवरबाई पति सबलसिंहजी राजपुत
02. विकमसिंह पिता सबलसिंहजी राजपुत
03. सावंतसिंह पिता सबलसिंहजी राजपुत
04. राजेन्द्रसिहं पिता सबलसिहजी
05. यषपालसिह पिता पदमसिंहजी राजपुत

समस्त निवासी ग्राम मलोडा तह. बडनगर जिला उज्जैन
.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भु. राजस्व संहिता न्यायालय – तहसीलदार बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक – 10 अ 13 /13.14 मे पारित आदेष दिनॉक– 8/6/2016 से क्षुब्ध होकर ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2037–पीबीआर / 16 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–1–2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं । तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–6–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण का तीन माह में गुण–दोष पर निराकरण किया जाना है । तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, प्रकरण के साक्षी बिना साक्ष्य के ही बाहर चले गये । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	